अपील सूचना अधिकार संख्या 25/2017 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपपंजियक, श्रीगंगानगर

31—07—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2017 के 8 बिन्दुओ की सूचना उपपंजियक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से चाही थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है, जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1)(2) के तहत लोक सूचना अधिकारी पर 25000रूपये जुर्माना लगाया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2017 के द्वारा उपपंजियक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः—

1. लोकसभा चुनाव में बीएलओ द्वारा वितरित किये गये सकंल्प पत्रों को एकत्रित करने हेतु जो नियम निर्वाचन विभाग द्वारा बनाये गये है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
2. एकत्रित करने से पूर्व मतदाताओं को एकत्रित करने वाले दिवस की सूचना देने संबंधी प्रकिया की नियम की प्रमाणित प्रति।
3. जिन अधिकारी या सेक्टर मजिस्ट्रेट के आदेश की पालना में संकल्प पत्र एकत्रित किये जाते है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
4. बी.एल.ओ. द्वारा किसी स्कूल के स्थान से संकल्प वत्र मतदाताओ से एकत्रित किये जाते समय उस विद्यालय के समय की सूचना जिस समय से जिस समय तक संकल्प पत्र एकत्रित किये जाने है।
5. एकत्रित संकल्प पत्रो को जिस अधिकारी को बी.एल.ओ. द्वारा सौंपा जाता है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
6. लगभग 1250 संकल्प पत्रो को एकत्रित करने में लगने वाले समय की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
7. संकल्प पत्र एकत्रित करने की कार्यवाही बी.एल.ओ. द्वारा की जानी है निर्वाचन विभाग के के नियमो की पालना में उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. संकल्प पत्र एकत्रित करने बाद, उसके बाद सुपुर्द जिस अधिकारी को किया जाता है उसमें लगने वाले समय की सूचना सेक्टर मजि0 के हस्ताक्षर सहित सूचना।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपपंजियक श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 426 दिनांक 10.04.17 प्रस्तुत किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना निर्वाचन पंजियन अधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर के कार्यालय से संबंधित होने के कारण मूल प्रा0 पत्र पत्र सं0 254—55 दिनांक 02.03.17 द्वारा संबंधित कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है जिसकी सूचना अपीलार्थी को भी दी गयी है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं उपपंजियक श्रीगंगानगर से न होने के कारण उनके द्वारा पत्र सं0 254–55 दिनांक 02.03.17 से द्वारा अपीलार्थी का मूल आवेदन उप निर्वाचन पंजियन अधिकारी, श्रीगंगानगर को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रेषित किया गया है उनके द्वारा इसकी सूचना अपीलार्थी को भी भिजवाई गई है।

यदि उप निर्वाचन पंजियन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है तो अपीलार्थी को इनके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजियक श्रीगंगानगर को विरूद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि उपपंजियक श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 254–55 दिनांक 02.03.17 से उन्हें भिजवाये गये अपीलार्थी के आवेदन पत्र का अगर निस्तारण कर दिया गया है तो उसकी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जावे। यदि निस्तारण नही किया गया है तो आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार निस्तारण कर अपीलार्थी को सूचित किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपपंजियक श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1579-81
18-8-17

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर